

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2017

अधिसूचना सं.50 /2017- सीमाशुल्क (गै.टे)

का.आ. (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/94-सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 21 नवंबर, 1994 जो कि का.आ. सं. 830 (अ) दिनांक 21 नवंबर 1994 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में को प्रकाशित की गई थी, में, एतद्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

1	2	3	4
		" (28) बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बाल्मिकि नगर	बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बाल्मिकि नगर को नेपाल के त्रिवेनी बाजार को जोड़ने वाली सड़क

[फा.सं. 552/41/2015-एलसी]

(राहुल नेगी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 21 नवंबर 1994 की अधिसूचना सं. 63/94-सीमाशुल्क (गै.टे) के अंतर्गत दिनांक 21 नवंबर 1994 की का.आ. 830 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें, दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. 30/2017-सीमाशुल्क गै.टे. जो कि दिनांक 31 मार्च, 2017 को का.आ. 1033 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था।